न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 129/2015

1 सलाउद्दीन आयु 70 साल
2 मुश्ताक आयु 65 साल
3 मुमताज आयु 60 साल पुत्रगण स्व. अलादीन उर्फ अलीमुदीन जाति समस्त कायमखानी निवासीगण वार्ड नम्बर 23 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.। जरिये समस्त मुख्तयार इरशाद हुसैन आयु 44 साल पुत्र खुर्शीद हुसैन जाति मुसलमान कायमखानी, निवासी वार्ड नम्बर 3 दरगाह कमरूदीन शाह झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 कासम खां आयु 65 साल पुत्र अलीम खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 08 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
2 मु. सलेमन आयु 63 साल स्त्री
3 मकबुल आयु 45 साल पुत्र
4 महमूद आयु 42 साल पुत्र हासम खां जाति कायमखानी निवासी चुरू बाईपास बन्धे के बालाजी के पीछे कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
5 लतीफ खां आयु 48 साल
6 शब्बीर खां आयु 42 साल
7 अयुब खां आयु 48 साल पुत्रगण स्व. अजीमुदीन जाति कायमखानी निवासी वार्ड नम्बर 8 कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
8 मु. जैतून आयु 73 साल बेवा
9 मो. सरीफ आयु 43 साल पुत्र
10 मोहम्मद नासिर आयु 38 साल पुत्र सव. हनीफ खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 8 कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार झुन्झुनू राज.।
12 नगर पालिका झुन्झुनू जरिये आयुक्त नगर पालिका झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 24.08.2015
बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू दावा उनवानी
सलाउदीन वगै. बनाम कासम वगै. दावा बाबत
घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा मु.नं. 127/2007

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 18.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 127/2007 में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूमि खसरा नम्बर 402, 417, 402/2, 417/2 वाके ग्राम झुन्झुनू का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने कानून को अनदेखा किया है अपीलान्टस का दावा विधि द्वारा वर्जित नहीं था। दावा किस विधि से वर्जित रहा है उसे निर्णय में स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलान्टस के दावा में खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग रही है। खातेदारी अधिकारों की घोषणा टिनेन्सी एक्ट 1955 के तहत राजस्व अदालत को ही करने का हक है। दावा में उत्तराधिकारी का विवाद नहीं थां दावा में विवाद केवल इस बात का रेस्पोडेन्ट की तरफ से रहा है कि अलीम खां और अलीमुदीन खां एक ही व्यक्ति था तथा अपीलान्टस का यह कथन रहा है कि अलीम खां व अलीमुदीन खां अलग अलग व्यक्ति थे एंव सगे भाई थे। कानून से खातेदारी हकुकों की घोषणा के दावें में सक्षम न्यायालय से वारिसान के बाबत उतराधिकारों प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। अपीलान्टस का दावा दफा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत हुआ था। जिसे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक ही तय करना था। अपीलान्टस ने आराजी में हक हकुक उतराधिकार के आधार पर क्लेम किये है तथा टिनेन्सी का स्त्रोत प्लीड किया है। ऐसी स्थिति में दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषणीय है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य व प्लींडिग को नजरअंदाज किया गया है। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया। अपीलान्टस के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। अपीलान्टस को निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित होने के रोज अर्थात सुनवाई के रोज गैर हाजीर दर्शाया गया है तथा वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार बताया गया है इस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पर अपीलान्टस व उनके अधिवक्ता के गैर हाजीर रहने पर दावा को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करना चाहिये था न की आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के आधार पर विचारण न्यायालय ने तथ्य व विधि की भूल की है। विचारण न्यायालय ने वाद कारण नहीं होना मानने में भी गलती क है। वाद कारण के लिए दावा की प्लींडिग को देखना होता है। दावा की प्लींडिग से वाद कारण स्पष्ट है। वादकारण के लिये प्रविवादीगण की प्लींडिग व प्रतिवादीगण की साक्ष्य नहीं देखी जाती। विचारण न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये व बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित किया है जो खाजिर होने योग्य है। दावा की वादिया मु. बसीरन का देहान्त हो चुका है। जिसके वारिसान अपीलान्टस है जो पहले से वादीगण रहे है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने अपने वाद के समर्थन में प्रथम दृष्टया उत्तराधिकार के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। इस कारण रेस्पोडेन्ट द्वारा विचारण न्यायालय में आवेदन आदेश 07 नियम 11 प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर साक्ष्य के अभाव में वादकरण साबित नहीं होने से वादी अपीलांट का वाद आदेश 07 नियम 11 के तहत विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से वादी अपीलांट का वाद आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय किसी भी दृष्टि से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में विचारण न्यायालय ने वादी अपीलांट को अनुपस्थित दिखा रखा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के आवेदन आदेश 07 नियम 11 पर केवल प्रतिवादी को सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विधि अनुसार वादी अथवा उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा सकता है गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से उत्तराधिकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का अंकन कर वाद विधि द्वारा वर्जित माना गया है। विधि अनुसार यह प्रश्न तनकी कायम कर साक्ष्य सुनवाई के उपरांत तय होता है। इस बिन्दु पर वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया की पालना कर, प्रतिवादी का जवाब प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर